न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47 / 2021

1 रामेश्वर जाईन्दा पुत्र चन्द्राराम दतक पुत्र बल्लाराम उर्फ मंगलाराम उम्र साल जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

अपीलांट

बनाम

1 रोशनी देवी पत्नी स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।

2 सुरेश कुमार पुत्र स्व रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।

3 कुलदीप सिंह पुत्र स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।

4 मु. सुनिता पुत्री स्व. रामकुमार जाति जाट निवासी सिरसी तहसील लुहारू जिला भिवानी हरियाणा।

5 विरेन्द्र सिंह पुत्र धुपसिह जाति जाट निवासी रामबास तहसील चरखी दादरी जिला भिवानी हरियाणा।

6 राजा देवी पत्नी स्व. भालाराम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

7 सुरेश कुमार पुत्र स्व. भालाराम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

8 सुनिल कुमार पुत्र स्व. भालाराम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 बिमला पुत्री स्व. भालाराम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

10 मुन्नी पुत्री स्व. भालाराम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

11 पवन कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

12 मीरसिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

13 कशमीरों पत्नी भगवाना राम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

14 सुमन पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

15 बिजेन्द्र पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

16 मदन पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

17 सुरेश पुत्र भगवाना राम जाति जाट निवासी धींधवा बिचला तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज।

18 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा मु.नं. 170/2016
उनवानी रामेश्वर बनाम रोशनी देवी आदि प्रार्थना पत्र
धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री गोरधन सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शम्भुदयाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 8.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 170/2016 में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने धींधवा बीचला की भूमि खसरा नम्बर 208, 329/210, 330/209 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट बलाराम का दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 बलाराम के वारिसान नहीं है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत तय होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द होती है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होती है। विचारण न्यायालय ने अधिकारों के निर्धारण से पूर्व प्रार्थी अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण/वादीगण का हिस्सा होना विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प ...)

नहीं है। वाद वर्णित भूमि चन्द्राराम व बल्लाराम के नाम दर्ज रिकार्ड रही है अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 बल्लाराम के उत्तराधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वाधिकारी बल्लाराम के देहान्त के बाद वाद वर्णित में विधिवत विरासतन का नामान्तकरण दर्ज होकर रामकुमार पुत्र बल्लाराम के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने भूमि का बेचान कर चुके है जो प्रस्तुत विक्रय पत्र से साबित होता है। वाद वर्णित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी के हिस्से में आई थी व उसी मुताबिक वह कब्जेकाश्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर मनन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट बलाराम का दत्तक पुत्र है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 बलाराम के वारिसान नहीं है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत तय होना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि खुर्द बुर्द होती है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होती है। विचारण न्यायालय ने अधिकारों के निर्धारण से पूर्व प्रार्थी अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रार्थी अपीलांट का आवेदन धारा 212 स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 8.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर